भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 37 / 2024–25
दिनांकः 23 अक्तूबर, 2024

विषयः एचएस कोड 100 630 90 के तहत गैर–बासमती चावल की निर्यात नीति में संशोधन से–संबंधित।

सा.आ.(अ): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आइटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची II (निर्यात नीति) के अध्याय 10 के तहत आइटीसी (एचएस) कोड 100 630 90 के तहत निर्यात नीतिगत शर्तों में निम्नानुसार संशोधन करती हैः–

आइटीसी (एचएस) कोड	मद विवरण	निर्यात नीति	मौजूदा निर्यात नीति	संशोधित नीतिगत शर्त
1006 30 90	गैर–बासमती सफेद चावल (आधा पीसा हुआ या पूरी तरह से पीसा हुआ चावल, चाहे पॉलिश या ग्लेज किया हो या नहीः अन्य)	मुक्त	निर्यात 490 अमरीकी डॉलर /टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य के अधीन है	–

<u>अधिसूचना का प्रभावः</u> एचएस कोड 100 630 90 के तहत गैर–बासमती सफेद चावल के निर्यात हेतु न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) की आवश्यकता को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन द्वारा जारी किया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी
23.10.2024
(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01 / 91 / 171 / 010 / एएम23 ईसी / ई–33294 से जारी)